पत्रांक–कारा/विधि-11-05/14 – 2693

बिहार सरकार
गृह विभाग
(कारा)

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
सभी केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा।

पटना, दिनांक 05/05/2016।

विषयः–बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित Addenda and corrigenda to Patna High Court Rules, 1916 के Chapter-III के नियम–23 में जोड़े गए परंतुक (Proviso) का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विधि विभाग, बिहार द्वारा निर्गत पत्र संख्या–वि०/प०–02/2009/1342/जे० दिनांक–29.02.2016 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय रूल्स, 1916 के खण्ड III के नियम 23 में नया परन्तुक अन्तर्विष्ट किया है। समाविष्ट किये गये इस नये नियम के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में याचिका अथवा अपील में शपथ पत्र दायर करने हेतु, शपथ पत्र दायर करने वाले पदाधिकारी, अपने पदस्थापन जिले के सरकारी अधिवक्ता (जी०पी०), लोक अभियोजक, जिन्हें ओथ कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया हो, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिवक्ता के समक्ष शपथ पत्र निष्पादित कर सकते हैं। इस संशोधन के उपरान्त संबंधित पदाधिकारियों को केवल शपथ पत्र निष्पादित करने हेतु पटना उच्च न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे अपने पदस्थापन जिले में ही शपथ पत्र निष्पादित कर सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय रूल्स, 1916 में किये गए उक्त संशोधन बिहार सरकार के ई–गजट (Website:htpp://egazette.bih.nic.in) पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर प्रयोग में जाया जा सकता है।

2. अतः उक्त आलोक में निदेश दिया जाता है कि किसी भी वाद में शपथ पत्र दायर करने के लिए अपने जिले के अन्तर्गत ही उक्त प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाए, इसके लिए पटना आने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

9/5/16

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/विधि-11-05/14-2693 दिनांक–05/05/2016।

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

...-02/2009..........1342..../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

संजय कुमार,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार, पटना।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार सरकार।
सभी सरकारी वकील।

पटना, दिनांक-......29/02/16...

विषय:- **बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित Addenda and Corrigenda to Patna High Court Rules, 1916 के Chapter-III के नियम 23 में जोड़े गए परंतुक (Proviso) (प्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना को प्रेषित विधि विभागीय पत्र संख्या-681 दिनांक-03.02.2016 की फोटो प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया **Patna High Court Rules, 1916** के **Chapter-III** के नियम-23 में जोड़े गए परंतुक (Proviso) का अनुपालन अपने स्तर से भी सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

26-2-16

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।

09 MAR 2016

10 MAR 2016

(160)

REGISTERED NO. PT.-40

सत्यमेव जयते

The Bihar Gazette

EXTRA ORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

18 FALGUNA 1936(S)
(NO.PATNA 348) PATNA, MONDAY, 9TH MARCH 2015

PATNA HIGH COURT

No. 13292/2015 *The 9th March 2015*

ADDENDA AND CORRIGENDA
TO
PATNA HIGH COURT RULES, 1916
(Fifth Edition)
C.S. No. – 144

In Chapter III of Patna High Court Rules, 1916 following may be added after Rule 23 as its proviso:

"Provided that the affidavits of counter affidavits that are to be filed in the writ petitions or appeals arising therefrom to be filed in the High Court, may be sworn and subscribed by the Government Officers before the Government Pleader or Public Prosecutor who are hereby appointed as Oath Commissioner or before any Advocate so appointed by the High Court, in the district in which the officer who deposes the affidavit or counter affidavit, is working" subject to any specific direction to the contrary.

By Order of the Court,
Sd./Illegible,
Registrar General.

File No. – Misc. 03-2015/A.D. (Rules)

PUBLISHED AND PRINTED BY THE SUPERINTENDENT,
BIHAR SECRETARIAT PRESS, PATNA.
Bihar Gazette (Extra) 348—571+100—Egazette
Website: http://egazette.bih.nic.in

(159)

पत्र संख्या-वि०प० 02/2009-.......२२१........./जे०

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,

सचिव-सह-विधि परामर्शी,

बिहार, पटना।

सेवा में,

महाधिवक्ता, बिहार,

उच्च न्यायालय, पटना।

पटना, दिनांक-.......................

विषय: **बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित Addenda and Corrigenda to Patna High Court Rules, 1916 के Chapter-III के नियम 23 में जोड़े गए परंतुक (Proviso) (प्रति संलग्न) के अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।**

महाशय,

माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन सरकारी वादों में सम्बद्ध जिला प्राधिकारों के स्तर से अपेक्षित प्रतिशपथ पत्रों को संबंधित जिला के सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिवक्ता के समक्ष शपथपूर्वक हस्ताक्षरित किए जाने की व्यवस्था उपर्युक्त विषयक अधिसूचना द्वारा की गई है। इसके बावजूद भी महाधिवक्ता का कार्यालय बिहार, पटना के अपर महाधिवक्ता/स्थायी सलाहकार/सरकारी वकील के स्तर से जिला स्तर पर शपथित प्रतिशपथ पत्रों को स्वीकार नहीं किए जाने का तथ्य विधि विभाग के समक्ष लाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की संचिका संख्या-1/अ0-1011/2014 में भवदीय द्वारा दिया गया परामर्श संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधित को सूचित करते हुए उपर्युक्त विषयक प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय और इस विषय में कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करवाया जाय।

अनु०:- यथोक्त।

(i) बिहार गजट की प्रतिलिपि।

(ii) विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

सचिव-सह-विधि परामर्शी,

बिहार, पटना।